

Order Sheet [Contd]

Case No 315/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
07-09-2017	<p>आवेदक/अभियुक्त मिथलेश की ओर से श्री एस.एस. तोमर अधिवक्ता। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर। अधीनस्थ जे.एम.एफ.सी. न्यायालय (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी) गोहद से प्र0क0 182/11 ई0फौ0 शासन गोहद चौराहा वि0 शिवसिंह आदि प्राप्त।</p> <p>प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त मिथलेश की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एस. तोमर द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 पेश कर निवेदन किया है कि आवेदक के द्वारा कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त अधीनस्थ न्यायालय में संचालित प्रकरण में आरोपी था और नियमित रूप से पेशी पर उपस्थित हो रहा था, किन्तु उसके पिता के गंभीर बीमार हो जाने से उन्हें दिल्ली ले गया था और अपनी अनुपस्थिति की सूचना अधिवक्ता को भी नहीं दे पाया था जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.11.15 को आवेदक की जमानत जप्त कर दी गई। आवेदक दिनांक 04.09.17 को न्यायालय में समर्पण किया है। वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः उसे उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि आवेदक/अभियुक्त के पिता बीमार हो गए थे जिनका इलाज कराने आरोपी चला गया था और उसके बाद मजदूरी करने बाहर चला गया था और इसी कारण वह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाया था।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 08.04.2011 से विचारण लंबित है। आवेदक दिनांक 26.11.15 से लगातार अनुपस्थित रहा है जिससे प्रकरण में विचारण लगभग 2 वर्ष बिलंबित रहा है। प्रकरण लगभग 6 वर्ष पुराना हो चुका है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पांच वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों को शीघ्रता से निराकृत किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। आवेदक/अभियुक्त द्वारा किए गए जमानत के दुरुपयोग को देखते हुए एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने से उसके पुनः फरार होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र निरस्त किया जाता है। एवं अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह तीन माह में विचारण पूर्ण करे।</p> <p>आदेश की प्रति सहित मूल अभिलेख संबंधित न्यायालय को वापस किया जावे।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;">(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) ए0एस0जे0 गोहद</p>	